# प्रमुख अंतर-राज्यीय जल ववािद (ISWD)

//

**संवैधानिक और विधिक प्रावधान:**

- **अनुच्छेद 262:** अंतर–राज्यीय जल विवादों के अधिनिर्णय का प्रावधान करता है। इसके तहत, संसद ने दो कानून बनाए: **नदी बोर्ड अधिनियम, 1956** और **अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (ISWD) अधिनियम, 1956**
- **नदी बोर्ड अधिनियम, 1956:** अंतर–राज्यीय नदियों के नियमन हेतु नदी बोर्डों की स्थापना
- **ISWD अधिनियम, 1956:** केंद्र सरकार ने दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जल विवादों के समाधान हेतु एक अस्थायी न्यायाधिकरण की स्थापना की

*[वर्ष 2002 में संशोधित जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना हेतु 1 वर्ष की समय सीमा और निर्णयन हेतु 3 वर्ष की समय सीमा अनिवार्य (सरकारिया आयोग)]*

- **राज्य सूची (प्रविष्टि संख्या 17):** जल से संबंधित
- **संघ सूची (प्रविष्टि संख्या 56):** संसद के पास अंतर–राज्यीय नदियों और नदी घाटियों को विनियमित व विकसित करने का अधिकार है यदि यह सार्वजनिक हित के लिये आवश्यक समझा जाता है।

**और पढ़ें....** [प्रमुख अंतर-राज्यीय जल ववािद]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/major-inter-state-water-disputes-iswd-